

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

दिनांक :- 22 मार्च, 2020

क्रमांक: साशा/2020/30595

:: आदेश ::

जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा एवं भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के लिये सख्त निषेधाज्ञा भी लागू की जा चुकी है।

इस क्रम में कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के मध्यनजर मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा आज दिनांक 22.03.2020 को ली गई विडियों कान्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार समिति गठित कर निर्देश जारी किये जाते हैं :-


सूचना संकलन एवं प्रेषण समिति :-

क्र.सं.	नाम/पदनाम अधिकारी/कर्मचारी	मोबाईल नंबर	
1.	श्री अजीत सिंह, उप पंजीयक, भीलवाड़ा	94602-01047	नोडल अधिकारी
2.	श्री नारायण जागेटिया, अति०जिला शिक्षाअधि०, मा० मुख्यालय, भील०	94145-75985	सहा० नोडल अधि०
3.	श्री अब्दुल शाहीद शेख, अ०मु० ब्लॉक शि० अधि०-I, सुवाणा	80059-81810	सदस्य
4.	श्री अनुराग जागेटिया, एसो० प्रोफेसर, मालाव टेक्सटाईल एवं इंजि० महाविद्यालय, भीलवाड़ा	94130-43507	सदस्य
5.	श्री बुद्धि प्रकाश छीपा, सूचना सहायक, लोक सेवा सेल, का०हा०	80948-70357	सदस्य
6.	सुश्री आशा मेडतवाल, सूचना सहायक, लोक सेवा सेल, का०हा०	98298-08866	सदस्य

उक्तानुसार गठित समिति कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक सामान्य/चिकित्सा/2020/30578 दिनांक एवं पत्रांक साशा/2020/30579 दिनांक 21.03.2020 के क्रम में सर्वसंबंधित अधिकारियों से आवश्यक समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयावधि में सूचनाओं का संकलन कर एकजाई सूचना तैयार करवायेंगे, बाद अनुमोदन प्रेषण सुनिश्चित करेंगे साथ ही संकलित सूचना एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(2)

उक्तानुसार गठित समिति के अधिकारीगण उक्त कार्य के अतिरिक्त समय-समय पर भीलवाड़ा जिले में भ्रमण कर किये जा रहे सर्वे कार्यो का भौतिक रूप से निरीक्षण कर पालना एवं वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेगें।


(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महो०, राजस्थान
2. मा० मुख्य सचिव महो०, राजस्थान-जयपुर
3. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर
4. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राज० जयपुर
5. संभागीय आयुक्त, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
9. सर्व संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण, भीलवाड़ा
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
11. समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला-भीलवाड़ा
12. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला-भीलवाड़ा
13. समस्त तहसीलदार जिला-भीलवाड़ा
14. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला-भीलवाड़ा
15. सर्व संबंधित
16. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर

को प्रेषित हैं।


जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा